न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
73 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	13.08.2021	29.07.2024

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल रोड निवाई जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 4, मायला बाग, गर्ल्स स्कूल के पास निवाई जिला टोंक राज.। पिनकोड–304021

............अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उप.।

:–निर्णय–:

दिनांक 29.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 01.06.2021 को समय 10:40 पीएम पर मैसर्स प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी प्रताप स्टेडियम के पास सरस्वती स्कूल रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री मुकेश कुमार जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ने श्री मुकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में कन्फैक्शनरी, घी, तेल, मसाले के साथ–साथ **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** के 180–180 ग्राम के 50 नग बोतल पैक कागज के कार्टून में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री मुकेश कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मुकेश कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 180–180 ग्राम मूल पैक में से 12 नग खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 180–180 ग्राम मूल पैक में से 12 नग **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** में से 3–3 नग को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियामनुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2861 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2861 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ का कोई वारन्टी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 2090 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. / 639 / एक्ट / 2021 / 673 दिनांक 08.06.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से क्रय किया गया था परन्तु वारन्टी बिल लेना भूल गया। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल पवन पुत्र एगमार्क ब्राण्ड (Kachi Ghani Mustard Oil Pawan Putra Agmark Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्याय[illegible] अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक